भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *174

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

मध्य प्रदेश की जिला अदालतों का आधुनिकीकरण

***174. श्री विवेक के तन्खाः**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विशेष रुप से शहडोल, मांडला, नरसिंहपुर, कटनी, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, उज्जैन, सिवनी, छिंदवाड़ा और सतना की जिला अदालतों में महिला वकीलों सहित मुकद्दमा लड़ने वाले मामले में उपस्थित होने वाले गवाहों तथा जनता की खराब स्थिति और यहां तक कि न्यायाधीशों की अदालतों के कक्षों की खस्ता हालत की जानकारी है जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार जिला अदालतों का आधुनिकीकरण करने का विचार रखती है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *174 जिसका उत्तर तारीख 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) और (ख) : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के शहडोल, मण्डला, नरसिंहपुर, कटनी, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, उज्जैन, सिवनी, छिंदवाड़ा और सतना के जिला न्यायालयों की न्यायिक अवसंरचना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

ग्वालियर – ग्वालियर में नए न्यायालय भवन का सन्निर्माण चल रहा है जिसमें 64 न्यायालय कक्षों और अन्य सहायक सुविधाओं की व्यवस्था है । वर्तमान में, सन्निर्माण कार्य लगभग 44% पूर्ण हो गया है ।

मण्डला - मण्डला में नए न्यायालय भवन का सन्निर्माण चल रहा है जिसमें 10 न्यायालय कक्षों और अन्य सहायक सुविधाओं की व्यवस्था है । वर्तमान में, सन्निर्माण कार्य लगभग 75% पूर्ण हो गया है ।

नरसिंहपुर – नरसिंहपुर का जिला न्यायालय अपने नए निर्मित जिला न्यायालय परिसर में कार्य कर रहा है जिसमें अन्य सहायक सुविधाओं के साथ 12 न्यायालय कक्ष हैं ।

कटनी, उज्जैन और दतिया - कटनी, उज्जैन और दतिया के जिला मुख्यालयों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पहले से ही निर्मित नए न्यायालय भवन हैं ।

शहडोल – अन्य आवश्यक सुविधाओं के साथ 04 अतिरिक्त न्यायालय कक्षों +01 बाल अनुकूल न्यायालय के सन्निर्माण के लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित है ।

सतना – राज्य सरकार ने सतना में 17 न्यायालय कक्षों और अन्य सहायक सुविधाओं के साथ अतिरिक्त न्यायालय भवन के सन्निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पहले ही दे दी है । सन्निर्माण कार्य अभी आरम्भ होना है ।

होशंगाबाद, सिवनी, मुरैना, छिंदवाड़ा – वर्तमान में, न्यायालय अपने पुराने भवनों में कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार इन जिलों में पर्याप्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देगी ।

विभाग के एमआईएस पोर्टल पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में, 28.02.2022 को यथाविद्यमान, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या 1550 और स्वीकृत संख्या 2021 के लिए 1531 न्यायालय हाल और 1626 आवासीय ईकाईयां उपलब्ध हैं । चूंकि उपलब्ध अवसंरचना के अन्तर्गत केन्द्र/राज्यों से पट्टा किए गए न्यायालय हाल और किराए के भवन भी आते हैं, सभी न्यायालय हालों को

न्यायपालिका के स्वामित्व वाले भवनों में अन्तरित करने का और न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के अनुरुप न्यायिक अवसंरचना करने का लक्ष्य है । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की रजिस्ट्री ने सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ 01 से 30 न्यायालय कक्षों के लिए न्यायालय परिसरों के सन्निर्माण हेतु मानक मानदंड विरचित किए हैं तथा मध्य प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका की सभी नई परियोजनाओं में सम्मिलित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान किए हैं ।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों के संसाधनों का वर्धन करने के लिए संघ सरकार विहित निधि साझा पद्धति में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इस स्कीम के अधीन किसी राज्य को निधियों का आबंटन स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है न कि जिला-वार या परियोजना-वार ।

सरकार ने 9000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत 5307 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा भी है, 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इस सीएसएस के जारी रहने का अनुमोदन किया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हालों और आवासीय ईकाईयों के अतिरिक्त, शौचालयों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और अधिवक्ता हाल के सन्निर्माण को भी इसके अन्तर्गत लाने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है । स्कीम के विस्तार तथा स्कीम में नई विशेषताओं को आरम्भ करने के अनुसरण में, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 19.08.2021 को पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ।

इस स्कीम के अधीन इसके प्रारम्भ से 598.05 करोड़ रुपए की राशि पहले ही मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को निर्गमित की जा चुकी है, जिसमें से वर्ष 2014-15 से 408.33 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु, अब तक 55.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ।

****